संख्याः 6001/9–आ–1–1997

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण (नगर निगम क्षेत्र),
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 15 दिसम्बर,1997

विषयः अतिक्रमण से मूक्त करायी गयी भूमि के विक्रय से प्राप्त धन से '' रिवाल्विंग फण्ड'' का सृजन।

महोदय,

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आवास नीति कार्य–योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि के विक्रय से ''रिवाल्विंग फण्ड;; बनाया जा सकता है जिससे क्रियान्चित की जा रही विभिन्न योजनाओं को पूर्ण रूप से विकसित करके बेचने से विकास प्राधिकरण को अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस लाभ को ''रिवाल्विंग फण्ड'' में जमा करने से निधि बढ़ती जायेगी और एक सतत श्रोत ;च्मतेवदंस त्मेवनतबमद्ध का उदभव होगा जो अन्य योजनाओं को वित्त पोषित कर सकेगा। शासन ने यक निर्णय लिया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगर निगम क्षेत्र वाले 11 विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद का लक्ष्य निर्धारित किया जाय जिसके अनुसार इस वित्तीय वर्ष में लगभग 500.00 करोड़ की भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराकर बेची जा सके। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु 'प्रोत्साहन' देने पर विचार किया जा रहा है जिसके ओदश अलग से आरी किये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित लक्ष्यों को 31.03.1998 तक पूरा किया जाय तथा अतिक्रमण से अवमुक्त भूमि को बाजार मूल्य पर बेचकर बैंक में एक ''रिवाल्विंग फण्ड'' के नाम से खाता खोल लिया जा। अन्य योजनाओं के वित्त पोषण हेतु बोर्ड के अनुमोदन से इस फण्ड से धनराशि का आहरण किया जाय तथा शासन को भी अवगत कराया जाय।

कृपया लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धियों से प्रपत्र पी0आर. 7 पर शासन को 15 दिन के अन्तराल से अवगत कराये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रगति

PR-7

MONITOR (दिनांक 01.04.97 से.....तक)

क्रमांक	अभिकरण	डिटेक्टेज क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	31 मार्च, 98 तक अवमुक्त करायी जाने वाली भूमि की कीमत का लक्ष्य (रू0लाख)	एफ.आईआर. दर्ज (संख्या)	हटाये गये अतिक्रमण (संख्या)	अवमुक्त भूमि (हेक्टेयर)	अवमुक्त भूमि का मूल्य (रू0 लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कानपुर		12500				
2.	आगरा		100				
3.	वाराणसी		100				

4.	इलाहाबाद	500
5.	लखनऊ	12500
6.	मेरठ	1000
7.	गाजियाबाद	12500
8.	बरेली	100
9.	गोरखपुर	500
10.	मुरादाबाद	1500
11.	अलीगढ़	50
12.	आवास एवं विकास परिषद	10000
		50000